उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 7 | 1-15 अप्रैल 2025 | ₹ 20/-

मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं का पलायन

- आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की गिरफ्त में
- पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ विद्रोह
- इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल
- सऊदी अरब में 18 हजार घुसपैठिए गिरफ्तार

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं का पलायन 04
देशभर में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू 07
वक्फ कानून को लेकर भाजपा का जनजागरण अभियान 12
आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की गिरफ्त में 14
भारत के निजी हज कोटे में 80 प्रतिशत की कटौती 17
बाबा रामदेव के शरबत जिहाद बयान पर विवाद 18

विश्व

पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ विद्रोह 21
ईरान में आठ पाकिस्तानी मजदूरों की सामूहिक हत्या 22
शेख हसीना और उनकी बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 23
अफगानिस्तान में चार लोगों को मौत की सजा 25
सिंगापुर में मुसलमानों की हत्या की साजिश में एक किशोर गिरफ्तार 26

पश्चिम एशिया

इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल 27
यमन से हूती विद्रोहियों को निष्कासित करने का अभियान 28
अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता 30
फिलिस्तीन समर्थक 450 मुस्लिम छात्रों का अमेरिकी वीजा रद्द 32
सऊदी अरब में 18 हजार घुसपैठिए गिरफ्तार 33

सारांश

केंद्र सरकार ने बहुचर्चित वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया है। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इस विधेयक के कानून बनते ही देश के कुछ क्षेत्रों में हिंसक उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि, दंगों का केंद्र पश्चिम बंगाल का जिला मुर्शिदाबाद बना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस वक्फ कानून की आड़ में राज्य के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रही है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया है। उग्र मुसलमानों की भीड़ ने दो निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी है। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हिंदुओं की संपत्ति की लूटपाट और उनके घरों को आग के हवाले करने के मामले भी प्रकाश में आए हैं। इससे भयभीत होकर हिंदू सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर दंगाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर, विभिन्न पक्षों ने वक्फ कानून के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, मोदी सरकार नए वक्फ कानून के सकारात्मक पक्षों के प्रति जनता को अवगत कराने हेतु राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। वक्फ कानून के बारे में विपक्षी दलों की ओर से जनता में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उनका निराकरण करना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है।

पाकिस्तान में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के विभिन्न गुटों में होड़ लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के एक संयुक्त पत्र में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से तुरंत त्यागपत्र देने की मांग की गई है। इन अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि सेना की ढिलाई के कारण पाकिस्तान में आतंकवाद की ज्वाला बड़ी तेजी से भड़क रही है। इस पत्र में जनरल मुनीर पर राजनीतिक विरोधियों को दबाने, पत्रकारों को गिरफ्तार करने और लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचलने का आरोप लगाया गया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच विद्रोहियों द्वारा बंधक बनाए जाने से पाकिस्तानी सेना की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पंजाबियों की चुन-चुनकर हत्या की जा रही है। हाल ही में ईरान में बलूच विद्रोहियों ने बहावलपुर के रहने वाले आठ पंजाबी मजदूरों की सामूहिक हत्या कर दी है।

पश्चिम एशिया में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। इजरायल और हमास के बीच समझौते की वार्ता रद्द हो गई है। इससे गाजा में पुनः युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के संबंधों में सुधार होने की जो आशा की जा रही थी वह फिलहाल खटाई में पड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का रूख ईरान के प्रति आक्रामक होता जा रहा है। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों को कुचलने के लिए 80 हजार सैनिकों को युद्ध में झोंकने का संकेत दिया है। इसमें अमेरिकी सैनिक भी यमनी सैनिकों की मदद करेंगे। दूसरी ओर, रूस ईरान के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी मुस्लिम छात्रों के वीजा रद्द करने का अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ऐसे छात्रों को अपना निशाना बना रहा है, जो फिलिस्तीन व हमास के प्रति नरमी रखते हैं और अमेरिका की इजरायल समर्थक नीति के विरोधी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों के प्रबंधकों ने अमेरिकी प्रशासन के इस अभियान का विरोध किया है। इससे चिढ़कर राष्ट्रपति ट्रम्प ने इन विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है।

मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं का पलायन

सियासत (14 अप्रैल) के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के इशारे पर वक्फ अधिनियम के विरोध में व्यापक हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद में अब तक कम-से-कम तीन लोगों की हत्या की जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए 400 से अधिक हिंदुओं ने दंगाग्रस्त क्षेत्र धुलियान से पलायन किया है। उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों के डर से पार लालपुर हाई स्कूल, देवनारपुर-सोवापुर, बैष्णबनगर और मालदा में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा है। समाचारपत्र का दावा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर दंगाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक के संसद से पारित होते ही पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में अशांति फैली हुई है। दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद के धुलियान, शमशेरगंज और सूती में लूटपाट की और सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उग्र दंगाइयों ने रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों की उग्र भीड़ ने शमशेरगंज में 71 वर्षीय हरगोविंद दास और उनके 40 वर्षीय बेटे चंदन दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी। स्थिति पर काबू पाने के लिए दंगाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि अब तक 150 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक घायल लड़के ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है।

उर्दू टाइम्स (13 अप्रैल) के अनुसार मृतकों की पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में हुई है। ये दोनों पिता-पुत्र हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम करते थे। समाचारपत्र के अनुसार मृतकों के शरीर पर चाकुओं के निशान पाए गए हैं।

सियासत (14 अप्रैल) के अनुसार भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से त्यागपत्र देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्थिति पर काबू पाने में विफल रही हैं।

उर्दू टाइम्स (12 अप्रैल) के अनुसार उग्र भीड़ के पथराव के कारण पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वे पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी।

एतेमाद (14 अप्रैल) ने दावा किया है कि दंगाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति नाजुक है। भयभीत लोग अपनी जान बचाने के लिए भागीरथी नदी को पार करके निकटवर्ती मालदा जिले में शरण ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने पलायन करने वाले लोगों के लिए सरकारी स्कूलों में रहने-खाने की व्यवस्था की है। मुर्शिदाबाद में शॉपिंग मॉल में लूटपाट की कई घटनाएं हुई हैं।

मुंसिफ (14 अप्रैल) के अनुसार जंगीपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद खलीलुर रहमान ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में दंगा करने वाले लोग स्थानीय नहीं थे। उन्हें बाहर से लाया गया था। वे अचानक एक भीड़ के रूप में आए और तोड़फोड़ करके वापस चले गए। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि दंगाई कौन थे और वे कहां से आए थे? हो सकता है कि इन्हें निकटवर्ती जिला मालदा और नदिया से लाया गया हो। एक अन्य समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा की ताजा स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी है।

औरंगाबाद टाइम्स (17 अप्रैल) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वे सबसे बड़े भोगी हैं। योगी महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए दोषी हैं। उन्होंने राज्य में तानाशाही कायम कर रखी है और वे लोगों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देते हैं। मुर्शिदाबाद दंगे की चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के दंगे पूर्वनियोजित थे और इनमें भाजपा, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों की मिलीभगत है। ये दंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर भड़काए गए ताकि बंगालियों को बदनाम किया जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि वे अमित शाह को नियंत्रित करें, क्योंकि वे अपने राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति के लिए देश को दंगों की आग में झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान (6 अप्रैल) ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में मुसलमानों के प्रदर्शनों को दबाने के लिए तानाशाही तरीके अपना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वाले 24 लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें दो-दो लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है ताकि लोगों को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की हिम्मत न हो।

औरंगाबाद टाइम्स (14 अप्रैल) के अनुसार असम के अनेक क्षेत्रों में हिंसक प्रदर्शन होने के समाचार मिले हैं। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है।

उर्दू टाइम्स (5 अप्रैल) के अनुसार वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों ने देश के अनेक भागों में प्रदर्शन किए हैं। कोलकाता, रांची, अहमदाबाद, लखनऊ और संभल में उग्र प्रदर्शन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चेतावनी दी है कि अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एतेमाद (5 अप्रैल) के अनुसार तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, केरल, झारखंड और महाराष्ट्र में जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन हुए हैं। अनेक स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं। जमात-ए-इस्लामी, पश्चिम बंगाल के सचिव शादाब मासूम ने कहा है कि नया वक्फ कानून एक काला कानून है। सरकार इसकी आड़ में मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों पर कब्जे कर रही है। हम आखिरी सांस तक इसका विरोध करेंगे। चेन्नई में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन तमिल फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने किया। चेन्नई के अतिरिक्त कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली में भी उग्र प्रदर्शन हुए। मुसलमानों ने अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में स्थित सिदी सैय्यद मस्जिद के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने अनेक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

उर्दू टाइम्स (8 अप्रैल) के अनुसार मणिपुर में भी मुसलमानों ने वक्फ कानून का जबर्दस्त विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असकर अली के घर को आग लगा दी है। भयभीत असकर अली ने मणिपुर के मुसलमानों से माफी मांगते हुए कहा है कि मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि संसद से पारित वक्फ अधिनियम को फौरन रद्द किया जाए। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में लगभग 10 प्रतिशत मुसलमान हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 अप्रैल) के अनुसार त्रिपुरा पुलिस ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगरतल्ला में हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में 18 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा फैलाने और पुलिस चौकी पर हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस हिंसा में दो हिंदू और एक मुसलमान मारा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने का फैसला किया था। बोर्ड के इस फैसले पर विवाद हो गया है। कुछ लोग यह सवाल कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला करके बुद्धिमता का प्रदर्शन नहीं किया है। सांप्रदायिक ताकतों को इन विरोध प्रदर्शनों के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने और उनके खिलाफ माहौल बनाने का मौका मिल जाएगा।

सियासत (13 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिम बंगाल की घटना से सांप्रदायिक तत्वों को देश की जनता को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का एक नया मौका मिल गया है। खास तौर पर तब जब भाजपा इस घटना की आड़ लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान शुरू कर रही है। बंगाल की हिंसा एक मामूली घटना थी, लेकिन

मुसलमानों के विरोध और विपक्ष के सुझावों को खारिज करते हुए जल्दबाजी में वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करवा लिया और इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसा लगता है कि इस विधेयक के खिलाफ देशभर के मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिकाएं दायर की हैं उससे सरकार भयभीत है। केंद्र सरकार ने कैविएट दायर करके सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया है कि अदालत इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दे। सरकार को यह भय है कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय इस कानून पर स्थगन आदेश जारी न कर दे।

भाजपा इसे पूरे देश में बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रही है ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। हालांकि, इससे पहले सांप्रदायिक तत्व रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई स्थानों पर हथियारों के साथ घूमते, रैली निकालते और जनता को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हुए भी देखे गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए भाजपा उनकी सरकार को बदनाम करने का अभियान चला रही है। अब बात सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विरोध प्रदर्शनों का यह दायरा पूरे देश में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि मुसलमान सतर्क रहें ताकि सांप्रदायिक ताकतें इन प्रदर्शनों में घुसकर इन्हें हिंसक मोड़ देने में सफल न हो सकें। ऐसे नापाक इरादों को विफल बनाने के लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।

हिंदुस्तान (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने

समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि अदालत से उन्हें राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। बाबरी मस्जिद के अतिरिक्त पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है वह संविधान में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। जब मुसलमान कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें अपने पुराने कटु अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

देशभर में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू

केंद्र सरकार ने बहुचर्चित वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करवा लिया था। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही इस कानून को पूरे देश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

एतेमाद (9 अप्रैल) के अनुसार केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम को देशभर में लागू करने की

अधिसूचना जारी कर दी है। संसद के दोनों सदनों में लंबी और तीखी बहस के बाद इसे सदन से मंजूरी मिली। लोकसभा में 288 सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया। जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया। विपक्ष द्वारा पेश सभी संशोधनों को ध्वनिमत से रद्द कर दिया गया। वहीं, राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। समाचारपत्र के अनुसार वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 60 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने कैविएट दायर करके सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि अदालत सरकारी पक्ष को सुने बिना वक्फ कानून के संबंध में कोई आदेश जारी न करे। अदालत ने केंद्र सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

सियासत (3 अप्रैल) के अनुसार लोकसभा में वक्फ विधेयक पर पूरे दिन और रात के 12 बजे तक चर्चा हुई। संशोधित विधेयक में केंद्रीय वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में दो गैर–मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि वक्फ सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, जो कम–से–कम पांच वर्ष की अवधि से इस्लाम के अनुयायी हों। समाचारपत्र ने कहा है कि लोकसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या 240 ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के समर्थन से इस विधेयक को पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनडीए में शामिल तीन अन्य पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया है। खास बात यह है कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा संभाला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को सदन में पेश किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की।

गौरतलब है कि पिछले साल भी इस विधेयक को सदन में पेश किया गया था, लेकिन सदन की मांग पर इसे विचारार्थ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। जेपीसी की बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच जोरदार झड़पें होती रहीं। विपक्षी सदस्यों की ओर से लगभग 44 संशोधन पेश किए गए थे। जेपीसी ने विपक्ष के इन सभी संशोधनों को रद्द कर दिया था। जबकि सत्तारूढ़ दलों की ओर से पेश सभी 14 संशोधन को स्वीकार कर लिया था।

ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए इस विधेयक की कॉपी को फाड़कर अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। उन्होंने दावा

किया कि वे इस संबंध में महात्मा गांधी का अनुसरण कर रहे हैं। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश कानून का विरोध करते हुए यही तरीका अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है ताकि इसका लाभ मुसलमानों के कमजोर और वंचित तबके को मिल सके। शाह ने अपने भाषण में लालू प्रसाद यादव द्वारा 2013 में दिए गए एक बयान का हवाला दिया। तब लालू यादव ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों की लूट को रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विधेयक को लाकर लालू यादव की इच्छा की पूर्ति की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद द्वारा पारित नए वक्फ कानून को देश के हर नागरिक को मानना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को भूमि पर अवैध कब्जे की मशीन में तब्दील कर दिया था। गृह मंत्री ने दावा किया कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर-मुसलमानों को शामिल किया गया है। जबकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि यह कानून अल्पसंख्यकों को संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं और मेरा यह अनुभव है कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां का बहुसंख्यक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार का इरादा नेक नहीं है। आज सरकार इस विधेयक की आड़ में मुसलमानों के वक्फ पर कब्जा कर रही है। कल उसका निशाना ईसाई और सिख भी होंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई गारंटी के खिलाफ है।

कांग्रेस के एक अन्य सांसद और वक्फ पर बनी जेपीसी के सदस्य मोहम्मद जावेद ने आरोप लगाया कि जेपीसी की 25 बैठकें हुईं, लेकिन किसी भी बैठक में कानून की धाराओं पर चर्चा नहीं की गई। कमेटी ने 300 संगठनों से जुड़े तीन हजार लोगों को अपने विचार रखने के लिए बुलाया था, लेकिन हर व्यक्ति को सिर्फ 10 सेकंड बोलने का मौका दिया गया, इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सत्तारूढ़ दल ने इस कमेटी को बंधक बना लिया था।

अवधनामा (3 अप्रैल) के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। सत्तारूढ़ पार्टी इस कानून की आड़ में मुसलमानों की संपत्ति को हड़पना चाहती है। जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने कहा कि यह विधेयक

मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी संपत्ति पर डाका डालने का सरकारी प्रयास है। टीडीपी के सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की संपत्ति है और इसका इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए किया जाना चाहिए। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं।

अखबार-ए-मशरिक (5 अप्रैल) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा द्वारा पारित वक्फ विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। इस पर पूरे दिन चर्चा हुई। दो दर्जन से अधिक सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। रात सवा एक बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष द्वारा पेश सभी संशोधनों को ध्वनिमत से रद्द कर दिया। रिजिजू ने सफाई दी कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और न ही सरकार वक्फ की एक इंच भूमि पर कब्जा करने की नीयत रखती है। हमारा प्रयास सिर्फ यह है कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल वंचित मुसलमानों के कल्याण के लिए हो। चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके के सांसद तिरुची शिवा ने कहा कि एक ओर तो भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा लगाकर जनता को धोखा देती है। दूसरी ओर, वह मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से सभी क्षेत्रों से बेदखल करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्ति को हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद ईसाइयों और सिखों की संपत्ति को भी हड़पने की तैयारी की जा रही है। बीजेडी के सांसद मुजीबुल्ला खान ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का ही नियंत्रण रहे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार इस विधेयक की आड़ लेकर मुसलमानों को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। वक्फ संपत्ति मुसलमानों ने मुसलमानों के कल्याण के लिए दान दी थी। उसके प्रबंधन में गैर-मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है?

हिंदुस्तान (7 अप्रैल) ने एक लेख में कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। इससे उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। नीतीश कुमार अपना हिंदू वोट बैंक और अपने आका नरेन्द्र मोदी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इस लेख में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भी आलोचना की गई है। समाचारपत्र ने कहा कि नायडू हमेशा से स्वार्थी रहे हैं। उनका कोई सिद्धांत नहीं है।

एतेमाद (4 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नया वक्फ कानून न केवल मुसलमानों की धार्मिक आजादी के खिलाफ है, बल्कि उनकी वक्फ संपत्ति को हड़पने की सोची-समझी साजिश है। मुसलमानों को यह आशा थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध करेंगे। इसके कारण भाजपा को अपने इरादों को

कार्यान्वित करने में कठिनाई होगी, लेकिन इन दोनों तथाकथित सेक्युलर नेताओं ने अपनी मौकापरस्ती दिखा ही दी। इससे इन दोनों नेताओं का सेक्युलर चेहरा बेनकाब हो गया है।

एतेमाद (9 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार का यह दावा सरासर गलत है कि मुसलमान वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ भूमि पर काबिज हैं। वक्फ संपत्ति सिर्फ कागज पर है। हकीकत तो यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मुसलमानों की खरबों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।

अखबार-ए-मशरिक (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हमें जो भय था वही हुआ है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मुसलमानों को धोखा दिया है। वहीं, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि वह मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए मैदान में डटा हुआ है। इस गठबंधन का एक भी वोट बर्बाद नहीं हुआ और न ही इसके एक भी सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन किया है। अगर जेडीयू और टीडीपी गद्दारी नहीं करती तो यह विधेयक कभी मंजूर नहीं होता। मोदी सरकार के वजूद को बरकरार रखने के लिए इस विधेयक को पारित करवाना जरूरी था। अगर जेडीयू और टीडीपी वक्फ विधेयक का विरोध करती तो यह विधेयक पारित न होता और सत्ता मोदी सरकार के हाथ से निकल जाती। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों को भाग्य की दीवार पर लिखा हुआ अपना भविष्य पढ़ लेना चाहिए कि अब इस देश में उनका अस्तित्व मिटाने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाली पार्टियां बेनकाब हो गई हैं। वक्फ संपत्ति का अब खुदा ही हाफिज (रक्षक) है। मुसलमानों की विरासत और संस्कृति खतरे में है।

सियासत (2 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि टीडीपी और जेडीयू ने इस विधेयक का समर्थन करके मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। मुसलमानों ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की पार्टी से जो उम्मीदें लगाई थीं, वह पूरी नहीं हुई है।

उर्दू टाइम्स (12 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांग था ताकि उनसे यह अनुरोध किया जा सके कि वे जल्दबाजी में इस कानून को मंजूरी न दें। अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति ने इस प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करने तक का समय नहीं दिया। हमें नहीं लगता कि मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय से किसी तरह की राहत मिलेगी। हालांकि, कानूनी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन आज के माहौल में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सरकार के कान पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम के बजाय राजनीतिक नेताओं व अधिकारियों का ज्यादा महत्व हो गया है।

उर्दू टाइम्स (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह कानून हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। अगर हम अल्लाह से विद्रोह करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, मक्कारी करेंगे, दूसरों का हक मारेंगे तो अल्लाह ऐसी ही स्थिति पैदा करता है। मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं? हमारे विरोध के बावजूद वक्फ विधेयक कानून कैसे बन गया? हमारे विरोध अभियान की हवा क्यों निकल गई? सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष की परवाह क्यों नहीं की? हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने की चर्चा हो रही है, लेकिन हमें पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। शासन सर्वोपरि है और न्यायपालिका उसके फैसले को रद्द करने का खतरा मोल नहीं ले सकती है।

वक्फ कानून को लेकर भाजपा का जनजागरण अभियान

अखबार-ए-मशरिक (12 अप्रैल) के अनुसार 8 अप्रैल से पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। कुछ राज्यों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को निशाना बना रहे हैं। भाजपा ने इस कानून के खिलाफ फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता से सीधा संपर्क करने का फैसला किया है। भाजपा के नेताओं ने फैसला किया है कि वे मुसलमानों के घरों में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस कानून को उनके कल्याण व विकास के लिए ही लागू किया गया है। इस संबंध में हाल ही में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी मुख्यालय में अपने चिंतकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता मुसलमानों के घरों में जाएंगे और सरकार की कल्याणकारी नीति से उन्हें अवगत कराएंगे।

दिल्ली में आयोजित इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और विभिन्न राज्यों के जिम्मेवार नेता शामिल हुए। किरेन रिजिजू ने अपनी पार्टी के नेताओं को इस कानून की बारीकियों से अवगत कराया। भाजपा और विशेष रूप से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ कानून के बारे में जनता में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की रणनीति तैयार की है। पार्टी इस अभियान को तीन चरण में चलाएगी। पहले चरण में राज्य स्तर पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक नेताओं, वकीलों, शिक्षकों, डॉक्टरों, कलाकारों और

पत्रकारों के साथ बैठक की जाएगी। दूसरे चरण में ईसाई संप्रदाय के साथ विशेष संपर्क स्थापित करने का अभियान चलाया जाएगा। तीसरे चरण में महिलाओं से संपर्क स्थापित किया जाएगा। विधायक और सांसद अपने-अपने क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इनमें विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा ताकि इस कानून के सकारात्मक पक्षों को मीडिया में सही ढंग से उजागर किया जा सके। इस सिलसिले में सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी सक्रिय किया गया है। मोर्चा के कार्यकर्ता मंडल स्तर पर घर-घर जाकर संपर्क अभियान चलाएंगे और इस कानून से संबंधित विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित साहित्य को भी वितरीत किया जाएगा। पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेवारी दी जाएगी कि वे मुस्लिम महिलाओं के घरों में जाकर उन्हें इस कानून के सकारात्मक पक्षों के बारे में अवगत कराएं। इस अभियान के तहत 15 से 17 अप्रैल तक राज्य स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जबकि 18-19 अप्रैल तक जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इस अभियान में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी सक्रिय सहयोग देंगे। विश्व हिंदू परिषद मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन की घटना को विशेष रूप से प्रचारित करेगा। वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए एक विस्तृत पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका का शीर्षक है, "वक्फ बिल 2024: रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम्स्।" इसमें वक्फ संपत्तियों की निगरानी, पारदर्शिता, संरक्षण और मुस्लिम समुदाय के कल्याण व विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पुस्तिका में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का भी उल्लेख है।

इंकलाब (17 अप्रैल) के अनुसार भाजपा ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश में चल रहे अभियान का निराकरण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल से राज्यव्यापी जनजागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक मुसलमानों के घरों में जाकर उन्हें इस कानून के कल्याणकारी पक्ष के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का विशेष योगदान होगा। पार्टी सूत्रों का दावा है कि भाजपा अब इस समस्या पर जनता से सीधा संपर्क स्थापित करके विपक्ष के झूठे प्रचार का पर्दाफाश करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की टोलियां मुसलमानों के घरों में जाकर उन्हें बताएंगी कि सरकार उनके खिलाफ नहीं है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि अब यह देश वक्फ से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के बारे में जो भ्रांतियां पैदा की गई हैं उन्हें इस अभियान के जरिए दूर किया जाएगा और जनता को यह बताया जाएगा कि अब तक माफिया गिरोह वक्फ संपत्तियों को अवैध तरीके से

इस्तेमाल करता रहा है। इससे होने वाली आय कुछ खास लोगों की जेब में चली जाती है और आम मुसलमानों को कोई लाभ नहीं होता। सरकार ने यह फैसला किया है कि मुस्लिम वक्फ से होने वाली आय को गरीब मुसलमानों, महिलाओं और जरुरतमंद मुसलमानों के विकास पर खर्च किया जाए। बासित अली ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों में यह डर पैदा करने का प्रयास कर रही है कि उनकी वक्फ संपत्तियों पर बहुसंख्यक समाज का कब्जा हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि यह कानून वक्फ पर गैर-कानूनी कब्जों के खिलाफ है।

रोजनामा सहारा (17 अप्रैल) के अनुसार मुसलमानों को नए वक्फ कानून के सकारात्मक पक्षों से अवगत कराने के लिए दिल्ली में भी जनजागरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। जबकि इस अभियान की जिम्मेवारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ नेता आतिफ रशीद को दी गई है। दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीश अब्बासी को इस अभियान का समन्वयक बनाया गया है। आतिफ रशीद ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य वक्फ कानून के बारे में विपक्ष के दुष्प्रचार का निराकरण करना है। उनका तर्क है कि भारत वक्फ कानून में संशोधन करने वाला पहला देश नहीं है, बल्कि दुनियाभर के मुस्लिम देशों में भी ऐसा किया गया है। इस अभियान में महिलाओं और युवाओं को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के 10 लाख घरों तक पहुंचने की योजना बनाई गई है।

आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की गिरफ्त में

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। इसके बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 18 दिनों की रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हवाले कर दिया है। तहव्वुर हुसैन राणा मूलतः पाकिस्तानी नागरिक है। बाद में उसने और उसकी पत्नी ने कनाडा की नागरिकता ले ली थी। राणा को 2009 में अमेरिका के शिकागो में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। अमेरिकी अदालत के आदेश पर उसे भारत के हवाले किया गया है। 64 वर्षीय तहव्वुर राणा को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विशेष अमेरिकी विमान से लाया गया। उसके साथ एनआईए के तीन वरिष्ठ अधिकारी और एनएसजी के कमांडो भी थे। राणा पर आरोप है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था और उसका संबंध पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी से है। अमेरिका ने राणा के एक अन्य सहयोगी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद गिलानी को अभी तक

भारत सरकार के हवाले नहीं किया है। एनआईए के मुख्यालय में स्थित एक विशेष कक्ष में तहव्वुर हुसैन से पूछताछ की जा रही है।

एनआईए ने दावा किया है कि सरकार के प्रयासों के कारण उसे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका से भारत लाने में सफलता मिली है। जबकि कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि मोदी सरकार इस मामले का सेहरा अपने सिर पर बांधने की कोशिश कर रही है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान किए गए प्रयासों की वजह से हमें राणा को भारत लाने में सफलता मिली है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने तहव्वुर राणा को अपने देश का नागरिक मानने से इंकार कर दिया है। उसका दावा है कि राणा एक अमेरिकी नागरिक है।

रोजनामा सहारा (11 अप्रैल) के अनुसार राणा से पूछताछ के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है। एनआईए के किसी भी अन्य अधिकारी को उस कमरे तक जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें तहव्वुर राणा को कैद किया गया है। एक अन्य समाचार के अनुसार दिल्ली की तिहाड़ जेल में अति सुरक्षित वार्ड की अंडा सेल में तहव्वुर राणा को रखने की व्यवस्था की जा रही है। उस पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि वह आत्महत्या करने का प्रयास न कर पाए।

औरंगाबाद टाइम्स (14 अप्रैल) के अनुसार पूछताछ के दौरान राणा ने यह स्वीकार किया है कि डेविड हेडली उर्फ दाउद गिलानी उसका सहपाठी था। इन आतंकवादियों की योजना दिल्ली, राजस्थान और गोवा में हमला करने की थी। ये लोग दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज पर हमला करना चाहते थे ताकि भारतीय सेना के दर्जनों उच्चाधिकारियों की हत्या की जा सके। एनआईए सूत्रों के अनुसार अभी तक तहव्वुर राणा ने किसी विशेष खाने की मांग नहीं की है। उसकी मांग पर उसे कुरान, कागज और एक कलम दिया गया है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 अप्रैल) के अनुसार शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाया है। राणा को इन दोनों राज्यों के चुनावों से ठीक पहले फांसी दे दी जाएगी और इस मामले को चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राणा से पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सलेम को भारत लाया गया था। राउत ने आरोप लगाया कि अगर भाजपा राणा का श्रेय लेना चाहती है तो उसे पुलवामा हमले का भी श्रेय लेना चाहिए।

उर्दू टाइम्स (11 अप्रैल) ने दावा किया है कि तहव्वुर को भारत लाने में आईएनए के प्रमुख सदानंद दाते की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। दाते ने मुंबई आतंकवादी हमले की जांच में विशेष भूमिका निभाई थी और वे आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए घायल भी हो गए थे।

अदालत ने उसे 14 साल की सजा सुनाई थी। भारत सरकार राणा को अपनी हिरासत में लेने के लिए 2019 से सक्रिय थी। तहव्वुर राणा ने भारत सरकार की मांग के खिलाफ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे भारत के हवाले करने का निर्देश दिया।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि "हेमंत करकरे की हत्या करने हेतु मुंबई में आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम मुशरिफ ने एक पुस्तक लिखी थी। इसका शीर्षक था, 'करकरे के हत्यारे कौन?' इस पुस्तक में मुंबई हमले की योजना बनाने वालों को बेनकाब करने की कोशिश की गई थी। दरअसल, हेमंत करकरे ने मालेगांव बम धमाके की जांच करते हुए 'हिंदू आतंकवाद' का चेहरा बेनकाब किया था। हेमंत करकरे की निष्पक्ष जांच के कारण ही साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित अनेक हिंदूवादी तत्वों के चेहरे बेनकाब हुए थे। इसके कारण आरएसएस सहित सभी मुस्लिम दुश्मन भगवा संगठनों की रातों की नींद हराम हो गई थी। यह ख्याल भी आम है कि हेमंत करकरे को रास्ते से हटाने के लिए ही 26/11 हमले की योजना बनाई गई थी। तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने के कारण अब यह मामला फिर से ताजा हो गया है। तहव्वुर राणा को भारत के हवाले किया जाना एक बड़ी सफलता है, लेकिन इंसाफ की मांग यह है कि हेमंत करकरे की हत्या की नए सिरे से जांच की जाए ताकि उनके असली हत्यारों के चेहरे को बेनकाब किया जा सके।"

हिंदुस्तान (11 अप्रैल) के अनुसार मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद पुलिस अधिकारी तुकाराम ओम्बले के भाई एकनाथ ओम्बले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तहव्वुर को फांसी पर लटकाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी आतंकवादी को भारत पर हमला करने की हिम्मत न हो।

सियासत (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाना राजनयिक स्तर पर भारत सरकार की भारी सफलता है। समाचारपत्र ने सरकार से अपील की है कि जो अपराधी भारत से भागकर विदेशों में शरण लिए हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द भारत लाने का प्रयास किया जाए। समाचारपत्र ने मांग की है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ पूरी गंभीरता से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए।

हिंदुस्तान (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तहव्वुर राणा को 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपों के अतिरिक्त तहव्वुर पर मुंबई हमले के दौरान अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने का भी आरोप था। हालांकि, तहव्वुर ने अदालत में उस पर लगे सभी आरोपों से इंकार किया था, लेकिन अमेरिकी

भारत के निजी हज कोटे में 80 प्रतिशत की कटौती

इंकलाब (15 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने भारत के निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा सऊदी अरब भेजे जाने वाले हाजियों के कोटे में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी है। इससे देशभर के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई है। भारतीय मुस्लिम नेताओं ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह सऊदी सरकार से संपर्क करके निजी हज कोटे को बहाल करने का प्रयास करे। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि हज के प्रबंधन में फैले भ्रष्टाचार के कारण सऊदी अरब के हज मंत्रालय को अभी तक निर्धारित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए 52 हजार हाजियों के लिए सऊदी अरब के मीना में स्थान की बुकिंग नहीं करवाई जा सकी है। इंकलाब ने दावा किया है कि उसने फरवरी महीने में इस संदर्भ में एक समाचार प्रकाशित की थी, लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण 52 हजार हाजी हज की धनराशि का भुगतान करने के बावजूद इस साल हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। सरकार इसके लिए सऊदी अरब को दोषी ठहरा रही है। जबकि इंकलाब का कहना है कि इसके लिए जेद्दा स्थित भारतीय हज मिशन के अधिकारी पूरी तरह से दोषी हैं।

समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि इंडियन वेल्फेयर हज ग्रुप, जेद्दा ने एक महीने पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और अन्य उच्चाधिकारियों को एक पत्र लिखकर हज प्रबंधन में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इसके बाद इस संगठन ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को भेजे एक ईमेल में इस घोटाले के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सीपीएस बख्शी, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत फहद अहमद खान सूरी, भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान, मुंबई स्थित अल खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स के यूसुफ अहमद खेराडा और बेंगलुरु स्थित अतीक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स के बीएस मकबूल को दोषी करार दिया था।

हालांकि, सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों को धनराशि की भुगतान के लिए तीन बार पत्र भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद इस धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से बुकिंग रद्द कर दी गई। इंडियन वेल्फेयर हज ग्रुप, जेद्दा ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके

मिश्रा को भेजे ईमेल में यह आरोप लगाया है कि बीएस मकबूल हाजियों द्वारा जमा की गई 87 करोड़ रुपए की धनराशि लेकर मलेशिया भाग गए हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सऊदी अरब की जिस टूर कंपनी के साथ समझौता करने का प्रयास किया था उसे मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और कई मुस्लिम देशों ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। इस कंपनी की क्षमता सिर्फ 30 हजार हज यात्रियों के लिए व्यवस्था करने की है।

इंकलाब ने फरवरी महीने में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने इस कंपनी के सीईओ डॉ. अहमद सिंदी के निजी बैंक खाते में 25 करोड़ रियाल हस्तांतरित की थी। जब इस पर समाचारपत्रों में हंगामा हुआ तो यह धनराशि वापस कर दी गई। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि कोई भी हज यात्री तीन लाख रुपये खर्च करके हज यात्रा कर सकता है, लेकिन सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण इस बार हज यात्रियों के खर्च में भारी वृद्धि की गई है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि वे इस कोटे की बहाली के लिए विदेश मंत्रालय से अपील कर रहे हैं। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस घोटाले पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार से अपील की है कि वह रद्द किए गए कोटे को बहाल करवाने का प्रयास करे।

इंकलाब (16 अप्रैल) के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि मीना में स्थान का समझौता न होने के लिए निजी टूर ऑपरेटर दोषी हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस वर्ष भारतीय हज कमेटी के तहत जाने वाले एक लाख 22 हजार 518 हज यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सऊदी सरकार के ताजा नियमों के अनुसार निजी टूर ऑपरेटरों के 26 समूह बनाए गए थे और उनके लिए सऊदी अरब सरकार ने कोटा भी निर्धारित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये टूर ऑपरेटर वहां की सरकार के साथ समझौता नहीं कर सके। सरकार के दबाव डालने पर सऊदी हज मंत्रालय ने इनमें से सिर्फ 10 हजार हाजियों को समायोजित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए हज पोर्टल को फिर से खोला जा रहा है। अब 42 हजार हज यात्री, जिन्होंने अपनी धनराशि का भुगतान कर रखा है वे इस साल हज यात्रा नहीं कर पाएंगे।

बाबा रामदेव के शरबत जिहाद बयान पर विवाद

सियासत (11 अप्रैल) के अनुसार 'शरबत जिहाद' जैसे विवादित बयान देने के कारण योग गुरु बाबा रामदेव जनता के निशाने पर आ गए हैं। अपने ताजा वीडियो में रामदेव ने एक विख्यात शरबत निर्माता कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि वह अपने मुनाफे से मस्जिदों व मदरसों का निर्माण कर रहा है। रामदेव लोगों को सलाह देते हैं कि वे बाजार में उपलब्ध शरबतों के बजाय पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदें, क्योंकि उसका पैसा गुरुकुल, आचार्यकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं पर खर्च किया जाता है। इस वीडियो को पतंजलि के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया है। पतंजलि ने लिखा, "अपने परिवार व मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। अपने घर पर सिर्फ पतंजलि शरबत और जूस लाएं।" समाचारपत्र ने कहा है

कि हालांकि, बाबा रामदेव ने शरबत बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा साफ है। उल्लेखनीय है कि बाबा रामदेव जिस शरबत रूह अफजा का उल्लेख कर रहे थे उसकी निर्माता कंपनी हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया है। सोशल मीडिया पर कई उपभोक्ताओं ने रामदेव पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आारोप लगाया है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 अप्रैल) के अनुसार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ इंदौर के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार विश्व के अनेक देशों में चर्चित पेय पदार्थ रूह अफजा का इस्तेमाल किया जाता है। बाबा रामदेव के नफरती और सांप्रदायिक बयान के बाद देश में एक नया विवाद 'शरबत जिहाद' शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव अपने शरबत को बेचने के लिए हिंदू-मुसलमान पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव इस वीडियो में दावा कर रहे हैं कि रूह अफजा के जरिए शरबत जिहाद किया जा रहा है। इस शरबत की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है उससे मस्जिदें और मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (14 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले एक दशक में सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरत को देश में राजनीति और सत्ता प्राप्ति का केंद्र बिंदु बना दिया गया है। भाजपा और उसके समर्थक अपने इस अभियान में पूरी तरह से सफल नजर आ रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है वह बहुत बड़े विवाद और दयनीय स्थिति की ओर संकेत करता है। सत्ता के लिए देश की बहुसंख्यक आबादी के दिलों में हिंदू राष्ट्रवाद और अन्य संप्रदायों विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा की जा रही है। 2014 के चुनावी अभियान में नरेन्द्र मोदी और भाजपा का भरपूर समर्थन करने वाले कथित योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को हवा देकर अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने में सफलता पाई है। बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए धर्म का सहारा लिया और अपने विज्ञापनों में देवी-देवताओं व धार्मिक स्थानों के चित्रों को प्रकाशित किया। हाल ही में उनकी कंपनी ने एक शरबत बनाया है और इस घटिया माल को बेचने के लिए उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। अपना शरबत बेचने के लिए वे लगभग 100 सालों से देश में लोकप्रिय ब्रांड के शरबत के प्रति हिंदुओं के दिलों में नफरत व भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि हाल ही में बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने शरबत को भी जिहाद से जोड़ने में कोई शर्म महसूस नहीं की। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों से देश के कट्टरपंथी विभिन्न समस्याओं के साथ 'जिहाद' शब्द जोड़कर

समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, सब्जी जिहाद और वोट जिहाद का उल्लेख बार-बार सुनने को मिल जाता है। अब रामदेव ने शरबत जिहाद का नया शब्द गढ़ा है। रामदेव की इस घटिया मार्केटिंग नीति की तीखी आलोचना की जा रही है। कुछ लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि रामदेव ने जानबूझकर इसे हिंदू-मुस्लिम बना दिया है ताकि उनका शरबत इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों में लोकप्रिय हो सके। रामदेव ने रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया की ओर इशारा किया था। हालांकि, उन्होंने इसका नाम नहीं लिया। यह कंपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही अपने उत्पाद बेचती आ रही है। इसका शरबत न सिर्फ भारत, बल्कि विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय है। यह कंपनी आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों तरह की दवाइयां बनाती है। इसके उत्पाद पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ।

हालांकि, रामदेव की कंपनी पतंजलि पर घटिया उत्पाद व दवाइयां बनाने के आरोप लगते रहे हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। केरल और उत्तराखंड में उनके कई उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय पतंजलि पर पहले भी टिप्पणी कर चुका है, क्योंकि रामदेव की इस कंपनी ने कोरोना महामारी के दौरान 'कोरोनिल' नामक दवाई बनाई थी। इसे कोरोना की दवाई के रूप में प्रचारित किया गया था। इसकी जांच करने के बाद पता चला कि पतंजलि के दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर को घटिया करार दिया था।

एतेमाद (12 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने एक

शरबत का उल्लेख करते हुए यह दावा किया है कि इस शरबत को पीने से मस्जिदों और मदरसों को आर्थिक सहायता मिलती है। जबकि उनकी कंपनी का शरबत पीने से हिंदू शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों के विकास में सहायता मिलती है। रामदेव पहले भी अपनी दवाइयों व अन्य उत्पादों के बारे में झूठे दावे करते रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने दावा किया था कि उनकी दवाई से निःसंतान महिलाओं की भी गोद भर सकती है। इस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (13 अप्रैल) ने अपने एक लेख में रूह अफजा के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इस लेख में कहा गया है कि रूह अफजा की शुरुआत 1907 में दिल्ली की गलियों से हुई थी। यहां पर एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने एक बेमिसाल शरबत तैयार की। बाद में उन्होंने अपने दावाखाने का नाम 'हमदर्द' रखा। रूह अफजा का मतलब है, 'आत्मा को ताजगी देने वाला'। 1922 में हकीम अब्दुल मजीद का निधन हो गया। इसके बाद इसका कारोबार उनके दो बेटों ने संभाला और हमदर्द ट्रस्ट की स्थापना की। देश के विभाजन के समय उनके एक पुत्र अब्दुल हमीद भारत में रह गए। जबकि उनके दूसरे पुत्र मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने पाकिस्तान में रूह अफजा की विरासत को बढ़ाया। 1971 में हमदर्द की एक शाखा बांग्लादेश में भी स्थापित की गई। हमदर्द के इस ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में यूनानी शिक्षा का एक विश्वविद्यालय, अस्पताल और एक दर्जन अन्य संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ विद्रोह

उर्दू टाइम्स (2 अप्रैल) ने अपने एक समाचार में दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों में असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के एक वर्ग ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से त्यागपत्र देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने और चुनावी धांधलियों में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के लिप्त होने के कारण पाकिस्तानी सेना में दिन-प्रतिदिन असंतोष बढ़ रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाइजैक करके पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। इन गतिविधियों के कारण आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है।

पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का एक संयुक्त पत्र मीडिया में प्रकाशित हुआ है। इस पत्र में जनरल मुनीर पर राजनीतिक विद्रोहियों को दबाने, पत्रकारों को गिरफ्तार करने और लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचलने का आरोप लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि अप्रैल 2022 में सेना के एक वर्ग द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने और असंतुष्टों को कुचलने के अभियान के कारण सेना की छवि को गहरा धक्का लगा है। इसके बाद 8 फरवरी 2024 के आम चुनाव में अपने मन पसंद नेताओं को विजय बनाने के लिए धांधलियां की गईं। इससे भी पाकिस्तानी सेना की छवि दागदार हुई है। इसके साथ ही जनता में सेना के खिलाफ आक्रोश तेजी से भड़क रहा है।

इससे पहले 28 मार्च को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त एयर मार्शल जावेद सईद के परिवारजनों ने आरोप लगाया था कि पिछले साल कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर जावेद सईद का अपहरण कर लिया था। तब से सरकार या प्रशासन की ओर से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस ने इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया है। अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में सहायक महान्यायवादी अजमत बशीर तरार ने अदालत को बताया कि जावेद सईद को जासूसी के आरोप में

सेना ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट मार्शल किए जाने के बाद उन्हें 14 साल की कठोर सजा सुनाई जा चुकी है। अभी वे सेना की हिरासत में हैं। इसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खादिम हुसैन सूमरो ने एयर मार्शल सईद की पत्नी की ओर से दायर याचिका को रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि जावेद सईद मार्च 2021 में एयर मार्शल के पद से रिटायर्ड हुए थे और वे पाकिस्तानी सेना के सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों में शामिल हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि जावेद सईद के खिलाफ जासूसी के चार आरोप थे। सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया था। गौरतलब है कि जुलाई 2018 में जावेद सईद को एयर मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया था। तीन सितारा एयर मार्शल को सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर माना जाता है। मीडिया के अनुसार सईद की सेवानिवृत्ति से पूर्व मार्च 2021 में एयर चीफ मार्शल के रूप में पदोन्नत करने हेतु उनके नाम का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के पास भेजा गया था, लेकिन इस संबंध में निर्णय होने से पहले ही जावेद सईद को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया।

इससे पहले अगस्त 2024 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस शीर्ष सैन्य अधिकारी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले मई 2019 में पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को जासूसी के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस सजा को घटाकर साढ़े चार साल कर दिया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक दर्जन वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों और सैन्य प्रमुखों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मेजरल जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसिर बिल्लाह, कर्नल मोहम्मद आजाद मिन्हास, कर्नल इनायत उल्लाह खान सहित पाकिस्तानी सेना के 38 प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। ■

ईरान में आठ पाकिस्तानी मजदूरों की सामूहिक हत्या

औरंगाबाद टाइम्स (14 अप्रैल) के अनुसार कुछ अज्ञात हमलावरों ने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में आठ पाकिस्तानी मजदूरों की सामूहिक हत्या कर दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि आतंकवादियों ने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के मेहरेस्तान काउंटी में आठ पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी है। पाकिस्तान सरकार ने तेहरान स्थित पाकिस्तानी

दूतावास को यह निर्देश दिया है कि वह मौके पर जाकर इस घटना की जानकारी ले और मारे गए लोगों के बारे में सूचना उपलब्ध कराए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने मासूम लोगों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। इस्लामाबाद स्थित ईरानी दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस आतंकवादी हमले की निंदा की है और कहा है कि इस्लाम दुश्मन तत्व अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के इशारे पर मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं।

बीबीसी के अनुसार बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली है। समाचारपत्र के अनुसार मरने वाले पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर जिले के रहने वाले हैं। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर ने दावा किया है कि मरने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हो गई है। उनकी पहचान मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफर और मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है। मारे जाने वाले सभी लोग एक ही परिवार से संबंधित हैं। दिलशाद अपने वर्कशॉप में काम करने के लिए पाकिस्तान से कारीगर ले गया था। इनमें उसका बेटा, भतीजा और भांजा भी शामिल थे। ये लोग दिलशाद के एक वर्कशॉप में कारों को मरम्मत करते थे। मोहम्मद दिलशाद के बड़े भाई मोहम्मद अरशद ने बताया कि दिलशाद पहले पाकिस्तान में कारों की मरम्मत का काम करता था। कोरोना महामारी के दौरान उसका काम ठप पड़ गया था, इसलिए वह रोजी-रोटी के लिए ईरान चला गया। अरशद ने बताया कि दिलशाद ने फोन पर उसे सूचित किया था कि ईरान में पंजाबी सुरक्षित नहीं हैं। वह वापस पाकिस्तान लौटना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान और ईरान की सीमा बंद होने के कारण उसे वहीं पर रूकना पड़ा। पाकिस्तानी गुप्तचर सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित बलूच रिपब्लिकन आर्मी (गुलजार इमाम गुट) और प्रतिबंधित यूनाइटेड बलूच आर्मी को मिलाकर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी का गठन किया गया था।

शेख हसीना और उनकी बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद और 17 अन्य के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुर्बाचल न्यू टाउन परियोजना में भूखंड आवंटन में अनियमितता के सिलसिले में ये वारंट जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अदालत में दायर किए गए आरोप पत्र के बाद ढाका के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने वारंट जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 5 मई तक आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए।

एक अन्य मुकदमे में भूखंड आवंटन में हुई धांधली के आरोप में शेख हसीना, उनकी बहन

शेख रेहाना और उनके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने एक अन्य न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद सहित चार अन्य के खिलाफ 2013 में ढाका के शापला चत्तर में हुए सामूहिक हत्याकांड के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पर्यवेक्षकों का मानना है कि वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण शेख हसीना और उनके परिवारजनों को तरह-तरह के मुकदमों में फंसा रही है।

हिंदुस्तान (12 मार्च) के अनुसार इन मुकदमों पर टिप्पणी करते हुए शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देश को आतंकवाद और अराजकता के अड्डे में तब्दील कर दिया है। हसीना ने आरोप लगाया कि स्वयं कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने यह बयान दिया था कि उन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी जांच न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया है। यूनुस की इस घोषणा के बावजूद इन्हीं न्यायाधिकरणों द्वारा उनकी और उनके परिवारजनों की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जल्द बांग्लादेश वापस आऊंगी और देश की भूमि पर रहने वाले सभी नागरिकों को न्याय दिलाऊंगी।

औरंगाबाद टाइम्स (9 अप्रैल) के अनुसार शेख हसीना ने अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। वह समय जरूर आएगा जब हमारी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद यूनुस को समझने में गलती की थी और हमारी सरकार ने उनकी सहायता भी की थी, लेकिन आज वही व्यक्ति सत्ता के नशे में अंधा होकर बांग्लादेश को जला रहा है और देश को आतंकवाद की ओर धकेल रहा है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान समर्थक तत्व अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चुन-चुनकर हत्या कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया था कि हसीना और अन्य आरोपियों को बांग्लादेश सरकार के हवाले किया जाए ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

उर्दू टाइम्स (4 अप्रैल) के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के छात्र विंग ने देशभर में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है। स्थानीय मीडिया आउटलेट यूएनबी की रिपोर्ट के अनुसार एक उग्र भीड़ ने पूर्व महापौर अनवरुज्जमां चौधरी और पूर्व सांसद शफीउल आलम चौधरी के आवास पर हमला किया और उनमें तोड़फोड़ की।

पुलिस थाने के प्रभारी सैयद अनीसुर रहमान ने कहा कि छात्रों की उत्तेजित भीड़ ने शहर में कई स्थानों पर अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया है। बांग्लादेशी अखबार 'ढाका ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों से अवामी लीग के कम-से-कम 20 नेताओं के शव बरामद हुए हैं। इन लोगों को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित भीड़ ने मौत के घाट उतारा था।

औरंगाबाद टाइम्स (3 अप्रैल) के अनुसार बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी 'बीएसएस' ने दावा किया है कि अपनी जान बचाने के लिए अवामी लीग के एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश से फरार होकर भारत में शरण ली है।

अफगानिस्तान में चार लोगों को मौत की सजा

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (13 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान में जुमे के दिन चार लोगों को सार्वजनिक तौर पर चौराहे पर फांसी दे दी गई। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने अधिक लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार तीन प्रांतों में चार लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 1996-2001 तक तालिबान के पहले शासनकाल में अपराधियों को आम तौर पर जुमे के दिन मस्जिदों के बाहर फांसी पर लटका दिया जाता था। बादगीस प्रांत में दो हत्यारों को गोली मारकर सजा दी गई। इस अवसर पर उन लोगों के परिवारजनों को विशेष रूप से बुलाया गया था जिनकी हत्या इन हत्यारों ने की थी।

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने संवाददाताओं को बताया कि जिन व्यक्तियों की हत्या की गई थी उनके परिवारजनों ने आरोपियों को माफ करने से इंकार कर दिया था, इसलिए शरिया के तहत उनको गोली मारकर सजा दी गई है। तीसरे व्यक्ति को

नीमरूज प्रांत में फांसी पर लटकाया गया। एक 30 वर्षीय अफगान नागरिक जावेद ने कहा कि तालिबान इस्लाम के नाम पर सत्ता में आए हैं। अगर वे शरिया के अनुसार आरोपियों को सजा देते हैं तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता ने काबुल में संवाददाताओं को बताया कि अफगान सरकार शरिया कानून को सख्ती से लागू करेगी। चौथे आरोपी को एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में फराह प्रांत में फांसी पर लटका दिया गया।

सिंगापुर में मुसलमानों की हत्या की साजिश में एक किशोर गिरफ्तार

इंकलाब (3 अप्रैल) के अनुसार सिंगापुर के आंतरिक सुरक्षा विभाग ने एक 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। इस लड़के ने यह स्वीकार किया है कि उसने सिंगापुर की पांच बड़ी मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने इन मस्जिदों में विस्फोटक पदार्थ भी लगा दिए थे। वह रिमोट कंट्रोल के जरिए इन मस्जिदों में विस्फोट करना चाहता था। सिंगापुर के गृह मंत्री के. शनमुगम ने संवाददाताओं को बताया कि यह किशोर कम-से-कम 100 मुसलमानों की हत्या करना चाहता था। वह अपने हमलों का लाइव-स्ट्रीमिंग भी करना चाहता था। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसे इस हमले की प्रेरणा 2019 में न्यूजीलैंड की मस्जिदों में हुए धमाकों से मिली थी। इसके बाद वह कुछ लोगों के संपर्क में आया। उन्होंने उसे विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध कराए। आरोपी 18 वर्षीय निक ली के साथ ऑनलाइन संपर्क में था। निक ली को फरवरी महीने में इसी तरह की योजना बनाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

गृह मंत्री ने बताया कि उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अनेक स्थानों पर छापे मारे थे, लेकिन इस गिरोह से संबंधित कोई भी व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं आया। शायद उन्हें पहले ही इस आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे सभी फरार हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुप्तचर विभाग को यह निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया पर नजर रखे और आतंकवादी रूझान रखने वाले लोगों को फौरन गिरफ्तार करे।

इजरायल और हमास के बीच वार्ता विफल

इंकलाब (16 अप्रैल) के अनुसार गाजा में युद्धविराम को लेकर इजरायल और हमास के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही वार्ता विफल हो गई है। संवाद समितियों के अनुसार गाजा में स्थाई युद्धविराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के उद्देश्य से यह वार्ता चल रही थी। समाचारपत्र के अनुसार हमास ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी समझौते का आधार युद्ध का स्थाई खात्मा और गाजा से इजरायलियों का पूर्णतः निष्कासन होना चाहिए। जबकि इजरायल का इस बात पर जोर था कि जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता तब तक उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। मिस्र सरकार ने इस वार्ता के लिए जो एजेंडा जारी किया था उसमें कहा गया था कि हमास अपने सभी हथियार इजरायल को सौंप दे, लेकिन हमास ने इस मांग को ठुकरा दिया है। हमास ने कहा है कि वह आत्मसमर्पण और नि:शस्त्रीकरण के लिए कतई तैयार नहीं है।

हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर इजरायल गाजा से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाएगा तभी हम वार्ता के लिए तैयार होंगे। हम हथियार डालने या नि:शस्त्रीकरण के संबंध में कोई बातचीत नहीं करेंगे। गाजा के युद्ध में 50 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और यह युद्धविराम तभी संभव है जब इजरायल इस पूरे क्षेत्र को खाली कर दे। इजरायली बंधकों की रिहाई की चर्चा करते हुए हमास के नेता ने कहा कि इजरायल ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों में से आधे कैदियों को रिहा करने के बदले 45 दिनों के अस्थाई युद्धविराम की पेशकश की है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। इजरायल ने आरोप लगाया कि अभी भी 58 इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। जबकि हमास का दावा है कि इनमें से अधिकांश लोग मारे जा चुके हैं।

उर्दू टाइम्स (15 अप्रैल) के अनुसार हमास ने कहा है कि जब तक इजरायल सरकार सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करती तब तक वे किसी भी बंधक को रिहा नहीं करेंगे। काहिरा वार्ता विफल होने के बाद हमास के नेता खलील अल-हय्या मिस्र से वापस लौट आए हैं। हमास ने दावा किया है कि इजरायल गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित खान यूनिस क्षेत्र पर लगातार बमबारी कर रहा है। इस बमबारी में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हमास ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने उस पर दबाव डाला तो वह इजरायली

बंधकों के शवों को ताबूतों में बंद करके उसके हवाले कर देगा।

कौमी तंजीम (11 अप्रैल) के अनुसार ब्रिटिश अखबार 'द टाइम्स' ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ईरान इराक स्थित अपने एजेंटों को गोपनीय तरीके से सतह से सतह तक तक मार करने वाले हथियार उपलब्ध करा रहा है। इन मिसाइलों से यूरोप को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान इस क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) इराक में सक्रिय ईरान समर्थक मिलिशिया गुटों को भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार सप्लाई कर चुका है। गौरतलब है कि ईरान और इराक के बीच एक हजार मील लंबी सीमा है। ईरान इस सीमा का उपयोग करके इराक में अपने शिया लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने इराक सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन शिया मिलिशिया लड़ाकों को नेस्तनाबूद नहीं किया गया तो अमेरिका को इनके ठिकानों पर हवाई हमला करना पड़ेगा।

कौमी तंजीम (10 अप्रैल) के अनुसार ईरान समुद्री रास्ते से लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इससे पहले ईरान ने विमानों के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह को जो हथियार और आर्थिक सहायता भेजी थी उसे इजरायल ने विफल बना दिया था।

यमन से हूती विद्रोहियों को निष्कासित करने का अभियान

उर्दू टाइम्स (15 अप्रैल) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन की सरकार ने यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों को कुचलने के लिए 80 हजार सैनिकों को युद्ध में झोंकने का फैसला किया है। वर्षों से यमन में चल रहे गृहयुद्ध में यह सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। ये सैनिक एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में यमन की हुदैदाह बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इस समय इस बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है और ईरान इसी रास्ते से हूतियों को ड्रोन व मिसाइल सप्लाई कर रहा है। 2014 में हूतियों ने ईरान की सहायता से यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था। इस कार्रवाई के दौरान अमेरिका यमनी सैनिकों को हवाई कवर और ड्रोन निगरानी प्रदान कर सकता है। अमेरिकी वेस्टर्न डिफेंस कमांड के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि इस हमले के दौरान अमेरिका के सैन्य वायुयान इन सैनिकों को हवाई कवर उपलब्ध कराएंगे ताकि ईरान हूतियों को हथियारों की नई खेप न पहुंचा सके।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने सऊदी अरब में सऊदी और यमनी सेना के कमांडरों से गुप्त मुलाकात की थी। इसी मुलाकात में इस हमले की योजना तैयार की गई थी।

उर्दू टाइम्स (16 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया है। इस संबंध में साना में अब तक 123 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हम हूतियों को पूर्ण रूप से तबाह करके ही दम लेंगे।

रोजनामा सहारा (6 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यमन के हूतियों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अब वे हमारे जहाजों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने हाल ही में हूतियों पर किए गए हवाई हमले से संबंधित एक वीडियो भी जारी किया। संभवतः यह वीडियो किसी ड्रोन या सैन्य विमान से बनाया गया है। इसमें हूतियों के अनेक अड्डों पर धमाके के बाद धुंए की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान के इशारे पर हूती विद्रोही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों पर निरंतर हमले कर रहे हैं। इसकी वजह से पूरा समुद्री यातायत ठप हो गया है, इसलिए हमें हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। पिछले एक सप्ताह में अमेरिकी हवाई हमले में कम-से-कम 67 हूती विद्रोही मारे गए हैं। जिन क्षेत्रों को अमेरिका ने अपना निशाना बनाया उनमें हुदैदाह, सादाह, साना और हज्जाह शामिल हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि यमन पर हुए हमलों से ईरान कमजोर हुआ है और हमारे दबाव के कारण ईरान में शरण लेने वाले कई हूती नेताओं को वहां से निकाल दिया गया है। इनमें वे हूती नेता भी शामिल हैं, जो अमेरिकी जहाजों पर हमले का निर्देश दिया करते थे। सिर्फ एक दिन में यमन पर 200 हवाई हमले किए गए।

रोजनामा सहारा (7 अप्रैल) के अनुसार हूतियों के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में अमेरिका के अनेक जहाजों पर हमले किए हैं। इनमें अमेरिकी विमान वाहक जहाज यूएसएस हैरी एस. ट्रूमैन भी शामिल है। प्रवक्ता ने दावा किया कि जब तक इजरायल गाजा को खाली नहीं करेगा तब तक उनके हमलों का सिलसिला जारी रहेगा।

इंकलाब (8 अप्रैल) ने अल-अरेबिया न्यूज चैनल के हवाले से बताया कि अमेरिका ने यमन के कामरान द्वीप में स्थित हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में कम-से-कम चार वरिष्ठ हूती कमांडर मारे गए हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने बताया कि हमें गुप्तचर सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इस द्वीप में हूती कमांडरों की एक गुप्त बैठक हो रही है। इसी सूचना के आधार पर अमेरिकी हवाई जहाजों ने इस द्वीप को निशाना बनाया।

अवधनामा (10 अप्रैल) के अनुसार यमन के हूतियों ने एक अमेरिकी ड्रोन एमक्यू-9 रीपर को मार गिराने का दावा किया है। अब तक हूती इस तरह के 10 ड्रोन गिरा चुके हैं।

मुंसिफ (2 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका ने यमन के हूतियों पर भीषण हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अमेरिका हूतियों को तबाह करना चाहता है ताकि लाल सागर को समुद्री यातायात के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। हूतियों के हमले के कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को प्रतिदिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके जलयानों को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड

होप (आशा अंतरीप) से होकर जाना पड़ता है। अमेरिका हूतियों पर इसलिए हमला कर रहा है ताकि वह ईरान को अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर सके।

समाचारपत्र ने कहा है कि एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए जहाज लाल सागर के मार्ग से गुजरते थे। एक जमाने में यमन का बंदरगाह बाब अल-मंदेब विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में गिना जाता था। इस समय यमन गृहयुद्ध का शिकार है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार सऊदी अरब और जॉर्डन के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सिमट गई है। जबकि अदन की खाड़ी और लाल सागर पर ईरान समर्थक हूतियों का कब्जा है। यमन की जनसंख्या लगभग चार करोड़ है। साना इसकी राजधानी है। इस समय साना पर हूतियों का कब्जा है।

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता

इंकलाब (14 अप्रैल) के अनुसार हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से ओमान की राजधानी मस्कट में मुलाकात की है। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति के विशेष दूत ने ईरानी विदेश मंत्री को बताया कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह निर्देश दिया है कि अगर संभव हो तो दोनों देशों के बीच के मतभेदों को बातचीत और राजनयिक पहल से हल किया जाए। बयान में कहा गया कि समस्या बहुत जटिल है, लेकिन अब तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है। आशा है कि दोनों पक्षों का इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा। इससे पहले ईरानी मीडिया ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक करार दिया था। ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिका ने ईरान से सीधी बातचीत की है। राष्ट्रपति ट्रम्प बार-बार यह कह चुके हैं कि ईरान को ऐसे समझौते के लिए तैयार करने की जरूरत है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ईरान परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर उसे अमेरिकी हमले का मुकाबला करना पड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पिछले सप्ताह ओमान की राजधानी मस्कट में हुई बातचीत सकारात्मक रही है है और वार्ता का अगला चरण 19 अप्रैल को शुरू होने की संभावना है।

सियासत (13 अप्रैल) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा के संबंध में न्यायसंगत और सम्मानजनक समझौता करना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्री ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से भी बातचीत की।

एतेमाद (13 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कई बार यह धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना

बनाने के लिए हवाई हमले करेगा। ईरानी सूत्रों ने यह संकेत दिया है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का निर्माण किया जा सके। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान बराबरी के आधार पर बातचीत करना चाहता है, इसलिए वह इस वार्ता में हिस्सा ले रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। जबकि ईरान का यह कहना है कि उसका परमाणु विकास कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मत है कि ईरान परमाणु हथियार और बम बनाने की स्थिति तक यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है। उल्लेखनीय है अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक पत्र भेजकर दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया था।

वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान और अमेरिका की वार्ता सफल नहीं हुई तो इससे कई तरह के खतरे पैदा होंगे। हम इस समस्या को राजनयिक स्तर पर सुधारना चाहते हैं। गौरतलब है कि 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। वे मध्य पूर्व में ईरान समर्थित मिलिशिया हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की गतिविधियों से भी परेशान हैं। गौरतलब है कि कई वर्षों की बातचीत के बाद 2015 में ईरान और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध को नरम कर दिया गया था और ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर दिया था। बाद में ट्रम्प ने इस समझौते को तोड़ दिया था। जो बाइडेन ने भी समझौते का प्रयास किया था, लेकिन वे विफल रहे।

अवधनामा (5 अप्रैल) के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के बाद मीडिया को बताया कि ईरान किसी युद्ध या टकराव का समर्थक नहीं है। न ही वह सैन्य लक्ष्य से परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के पक्ष में है।

उर्दू टाइम्स (3 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा ईरान को युद्ध की धमकी दिए जाने के बाद रूस ईरान के समर्थन में कूद पड़ा है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया तो उससे दुनिया तबाह हो जाएगी। रूस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान को धमकी देना उचित नहीं है।

कौमी तंजीम (12 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी पत्रिका 'न्यूजवीक' ने ईरानी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि ईरानी सेना ड्रोन विमान विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए कई नए ड्रोन अड्डे बनाए जा रहे हैं। ईरान ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकी के बाद किया है। ईरानी सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल किउमार्स हैदरी का कहना है कि सही निशाने पर हमला करने वाले विमानों को

विकसित किया जा रहा है। इससे पहले इस साल के प्रारंभ में ईरानी सेना ने दावा किया था कि उसने 1000 ड्रोन तैयार कर लिया है। इनकी पहुंच 1200 मील तक है और ये अपने निशाने पर हमला करके भारी तबाही मचा सकते हैं। इन ड्रोनों का डिजाइन ईरानी वैज्ञानिकों ने विकसित किया है।

अखबार-ए-मशरिक (8 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जबसे डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाने की नीति पर चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान पर हमले की धमकी दी है। इसके अतिरिक्त वे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ट्रम्प अमेरिका के ही नही, बल्कि दुनिया के भी ठेकेदार हैं और उनकी नजर में किसी भी अन्य देश की संप्रभुता की कोई कीमत नहीं है। समाचारपत्र ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि ईरान ने इस धमकी के आगे झुकने से इंकार कर दिया है और जवाबी कार्रवाई करने का भी संकेत दिया है।

हिंदुस्तान (13 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की शुरुआत पर संतोष प्रकट किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मध्य पूर्व की वर्तमान हालात में अब इजरायल के लिए सिर्फ ईरान ही खतरा रह गया है। इजरायल अमेरिका के बल पर टिका हुआ है और अमेरिका की ईरान दुश्मनी भी सिर्फ इसलिए है, क्योंकि वह हर कीमत पर इजरायल का समर्थन करना चाहता है। यही कारण है कि वह ईरान पर दबाव डाल रहा है कि ईरान परमाणु विकास कार्यक्रम को स्थगित कर दे ताकि भविष्य में इजरायल के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

फिलिस्तीन समर्थक 450 मुस्लिम छात्रों का अमेरिकी वीजा रद्द

रोजनामा सहारा (9 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 450 से अधिक विदेशी मुस्लिम छात्रों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें पाकिस्तान सहित अन्य मुस्लिम देशों के छात्र शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिना किसी विधिवत कार्रवाई के इन छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं। समाचारपत्र के अनुसार ट्रम्प प्रशासन उन विदेशी छात्रों को अपना निशाना बना रहा है, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में अमेरिका में हुए विभिन्न प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था या जो यहूदी विरोधी अभियान से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा 150 वीजा टेक्सास विश्वविद्यालय में रद्द किए गए हैं। इसके बाद मिशिगन विश्वविद्यालय में 70 से अधिक छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं। इन छात्रों को यह निर्देश दिया गया है कि वे फौरन स्वदेश वापस लौट जाएं, वरना उन्हें अवैध घुसपैठिया करार देकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले का विश्वविद्यालय प्रशासन ने विरोध किया है। वे इस संदर्भ में अदालत की शरण ले रहे हैं।

रोजनामा सहारा (3 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सभी देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों को यह निर्देश दिया है कि वे

किसी भी विदेशी छात्र या किसी अन्य श्रेणी का वीजा जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करें ताकि उन लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोका जाए, जो इजरायल या यहूदियों के खिलाफ विचार रखते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने एक आदेश जारी करके उन विदेशी नागरिकों को अमेरिका से निष्कासित करने का फैसला किया है, जो सरकार के प्रति शत्रुता रखते हैं या फिर अमेरिकी संस्कृति के विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त यहूदी विरोधी गतिविधियों में भाग लेने वालों को भी निष्कासित करने का फैसला किया है। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए गुप्तचर संगठनों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अमेरिकी प्रशासन अब तक 300 से अधिक इजरायल विरोधी छात्रों को देश से निष्कासित करने का निर्देश जारी कर चुका है। इस अभियान की शुरुआत कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले एक मुस्लिम छात्र महमूद खलील के निष्कासन से हुई थी। खलील ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ धरने का आयोजन किया था।

सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे 40 विदेशी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इसकी पुष्टि विश्वविद्यालय के सूचना प्रमुख ने की है। अमेरिकी अखबारों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में कम-से-कम नौ अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के वीजा भी रद्द किए गए हैं। पहले जब छात्रों के वीजा रद्द किए जाते थे तो उन्हें अमेरिका से तुरंत नहीं निकाला जाता था। छात्र इस संबंध में अदालत की शरण में जाते थे, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने एक ताजा आदेश में यह प्रतिबंध लगा दिया है कि जिन लोगों के वीजा रद्द किए गए हैं वे उसे अदालतों में चुनौती नहीं दे सकते हैं।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के प्रशासकों को यह सूचना दी है कि अगर वीजा रद्द किए जाने वाले छात्र फौरन अपने देश नहीं लौटते तो उन छात्रों पर प्रतिदिन 998 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया था या धरनों का आयोजन किया था उनका सरकारी अनुदान रोक दिया गया है। बताया जाता है कि ट्रम्प प्रशासन की ओर से 60 विश्वविद्यालयों के अनुदान पर रोक लगाई गई है। इससे पहले इन विश्वविद्यालयों को सरकार की ओर से नौ अरब डॉलर का अनुदान दिया जाता था। ■

सऊदी अरब में 18 हजार घुसपैठिए गिरफ्तार

उर्दू टाइम्स (7 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब ने हज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सऊदी सरकार ने उमरा के लिए आए हुए सभी लोगों को यह निर्देश दिया है कि वे 19 अप्रैल से पहले अपने-अपने देश लौट जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने कहा है कि पहले विभिन्न देशों के लोग उमरा वीजा लेकर सऊदी अरब में

डेरा डाल देते थे। इसकी वजह से हज के दौरान देश में भारी भीड़ हो जाती थी और इससे सारी व्यवस्था ठप हो जाती थी।

सियासत (10 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों ने पिछले एक सप्ताह में 18,407 लोगों को विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें सऊदी अरब से निष्कासित करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। घुसपैठियों में 62 प्रतिशत इथियोपियाई, 36 प्रतिशत यमनी और शेष अन्य देशों के नागरिक हैं। घुसपैठियों को शरण देने के आरोप में सऊदी अरब के 11 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को 15-15 साल की कैद और 10-10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया है। सरकार ने सऊदी अरब के नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध घुसपैठियों के बारे में सरकार को सूचित करें। अगर वे इस संदर्भ में सरकार को सूचनाएं नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि विजिटर वीजा पर हज करना गैर-कानूनी है। जो व्यक्ति हज के दौरान बिना अनुमति के काबा, मीना, माउंट अराफात और मदीना में दाखिल होगा उसे 10 हजार रियाल का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उसे सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया जाएगा।

सियासत (7 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने दुनिया के 14 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध व्यावसायिक, पारिवारिक और उमरा वीजा पर भी लागू होगा। सऊदी सरकार ने कहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि

गैर-पंजीकृत लोग हज करने का प्रयास न कर सकें। यह प्रतिबंध हज सीजन खत्म होने तक जारी रहेगा। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक फरमान में कहा है कि यह आदेश पिछले साल हज के दौरान हुई भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए जारी किया गया है। इस भगदभड़ में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे।

औरंगाबाद टाइम्स (9 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि उमरा वीजा पर सऊदी अरब आए हुए सभी लोग 29 अप्रैल तक स्वदेश लौट जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एतेमाद (11 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में सरकारी प्रतिबंध का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हज के दौरान सऊदी सरकार ने बच्चों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सऊदी सरकार के सूत्रों के अनुसार इस वर्ष 20 लाख लोगों के हज करने की संभावना है। इनमें 22 देशों के 18 लाख लोग और शेष सऊदी नागरिक शामिल होंगे। इससे पहले 1990 में भी हज के दौरान भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में लगभग दो हजार लोग मारे गए थे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

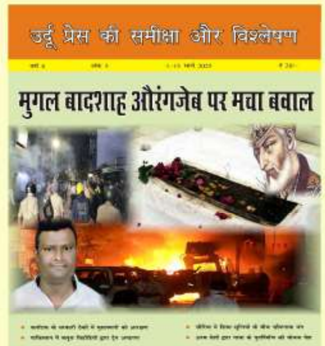

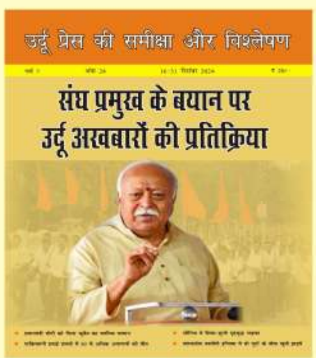

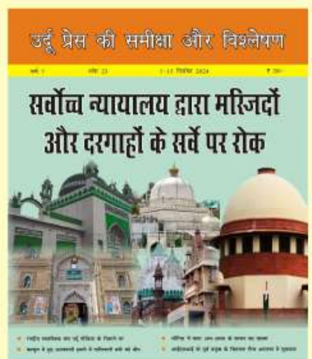

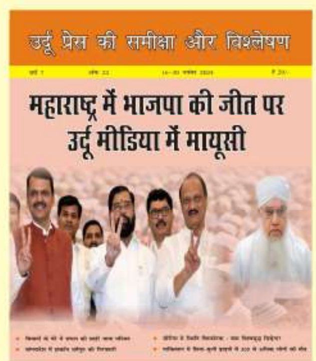

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in